न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 03/2019 दायरा दिनांक 24.09.2019
GCMS No. 2019/00165

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. सरवन पुत्र रूपा जाति जाटव निवासी करबाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. रामवती पत्नि सरवन जाति जाटव निवासी करबाथाना तहसील शाहबाद जिला—बारां।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. बशीरशाह पुत्र बलीशाह जाति मुसलमान निवासी करबाथाना तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां — अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री हेमराज नामदेव , अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970

निर्णय दिनांक 28.08.2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

अप्रार्थीक्रम 1 को दिनांक 26.05.2000 को ग्राम करबाथाना की आराजी खसरा नम्बर 239 रकवा 1.10 बीघा भूमि अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा आवंटित की गई है यह आवंटन कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के विपरीत किया गया है जिसे प्रार्थीगण निम्न आधारों पर निरस्त किये जाने का निवेदन करते है। आवंटी कृषक नहीं है आवंटी ने कभी कृषि कार्य नहीं किया इस तरह आवंटी सद्भावी कृषक नहीं है और आवंटी ने आवंटन कमेटी को अपने प्रभाव में लेकर गलत तथ्यों पर नियम विरूद्ध आवंटन कराया है। आवंटन से पूर्व उक्त भूमि कि न तो कोई उद्घोषणा की है न ही आवंटी द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का आवंटन का आवेदन किया है उक्त भूमि वक्त आवंटन प्रार्थीगण के कब्जे में थी इस तरह उक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी इसके बाद भी आवंटन कमेटी ने उक्त भूमि का आवंटन कर कानूनी भूल की है। उक्त भूमि कथित आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसे प्रार्थीगण ने काफी श्रम समय पैसा खर्च कर काबिल काश्त बनाया है। अप्रार्थी को आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि पर न तो कभी कब्जा/दखल दिया है न ही आवंटी अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कभी कब्जा लिया है। न ही अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आज तक एक क्षण भी काश्त किया गया है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन एक कागजी आवंटन है आवंटी ने आवंटन शर्तो का पालना नही किया है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 2.15 बीघा एवं खसरा नम्बर 235

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 1.02 बीघा के पास एक छोटी पटटी के रूप में स्थित होकर कब्जे में चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण जो भूमिहीन कृषक की परिभाषा में आते है को प्राथमिकता से आवंटित की जानी चाहिए थी। अप्रार्थी ने ग्राम कस्बाथाना की आराजी खसरा नम्बर 29 की भूमि के लिए आवेदन किया था इसी नम्बर की भूमि अप्रार्थी को आवंटन की गई थी। लेकिन अप्रार्थी ने फर्जकारी करवाकर आवंटन आदेश प्रपत्र में खसरा नम्बर 29 को काट पीट कर खसरा नम्बर 239 करवा लिया इस तरह अप्रार्थी द्वारा छल कपट से खसरा नम्बर 29 के स्थान पर खसरा नम्बर 239 करवाया जाकर फर्जीवाडा कर बिना कब्जे/दखल के आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र निम्न पेश है :–

1. प्रार्थनापत्र की चरण क्रम–1 में दिनांक 26.05.2000 को ग्राम कस्बाथाना की आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 1.10 बीघा भूमि आवंटन अप्रार्थीक्रम–1 को किया जाना स्वीकार है, परन्तु यह नितान्त असत्य है कि उक्त आवंटन भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के विपरीत किया गया हो।
2. प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–2 अस्वीकार है। आवंटी कृषक है, कृषि तथा मजदूरी ही आवंटी/अप्रार्थी का मुख्य धन्धा है। प्रार्थी यह कथन नितान्त असत्य एवं निराधार है कि अप्रार्थी/आवंटी ने आवंटन कमेटी को अपने प्रभाव में लेकर उक्त आवंटन कराया हो।
3. प्रार्थना पत्र चरण क्रम–3 अस्वीकार है। यह कि आवंटित भूमि उद्घोषणा में शामिल थी, इस बाबत् आवंटन आदेश के साथ हल्का पटवारी की रिपोर्ट पेश है। अप्रार्थी द्वारा आवंटित नम्बर के लिए ही आवेदन किया है। वक्त आवंटन उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में होना अस्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–4 अस्वीकार है। उक्त भूमि दिनांक 26.05.2000 को विधिवत आवंटन सलाहकार समिति मुकाम कस्बाथाना द्वारा अप्रार्थी भूमिहीन के हक में नियमानुसार आवंटन की जाकर दखल व कब्जा सम्भलाया गया है तथा आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में गैरखातेदारी तदुपरान्त खातेदारी प्रदन की गई है।
5. प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–5 अस्वीकार है। आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना अस्वीकार है। एक ही भूमि के आवंटन हेतु एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा आवेदन किये जाने पर ही प्राथमिकता तय की जाती है, जबकि आवंटित भूमि को आवंटन किये जाने हेतु अप्रार्थीक्रम–1 के अलावा अन्य किसी अथवा प्रार्थी द्वारा कोई आदेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसी कारण उक्त भूमि भूहीन होने से अप्रार्थीक्रम–1 के हक में विधिवत आवंटन की गई है।
6. प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–6 अस्वीकार है। अप्रार्थीक्रम–1 द्वारा आवंटित भूमि खसरा नम्बर 239 के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और खसरा नम्बर 239 की भूमि ही अप्रार्थी के हक में आवंटन की गई है। आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 239 अंकित है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई फर्जकारी नहीं की गई है।
7. प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–7 कानूनी है।
8. प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–8 अस्वीकार है। आवंटन मजमेआम में आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 26.05.2000 को किया गया है। इस कारण प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत होने से अस्वीकार है।
9. प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–9,10 तथा11 अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां :–

1. यह कि आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 1.10 बीघा ग्राम कस्बाथाना दिनांक 26.05.2000 को आवंटन सलाहकार समिति वमुकाम कस्बाथाना द्वारा विधिवत आवंटन नियमानुसार अप्रार्थीक्रम–1 के हक में आवंटन की गई है, हल्का पटवारी द्वारा दखल तथा कब्जा संभलाया गया है, जिस पर अप्रार्थीक्रम–1 को आवंटन शर्तो की पालना के अनुकम में गैर खातेदारी तदुपरान्त खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, उक्त भूमि निरन्तर काबिज हो काश्त करते हुये अप्रार्थीक्रम–1 को 20 वर्ष हो चुके है। इस

Scanned with OKEN Scanner

कारण अप्रार्थीक्रम–1 के हक में किया गया आवंटन यथावत रखे जाने योग्य है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

2. प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई विधिक अधिकार तथा लोकस स्टैण्डाई प्राप्त नहीं है, इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
3. अप्रार्थी क्रम–1 के हक में किया गया उक्त आवंटन किस प्रकार आवंटन नियमों के विपरीत है, स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
4. प्रार्थना पत्र की चरण क्रम–1 में प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट रूप से ग्राम करबाथाना की आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 1.10 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थीक्रम–1 के हक में किया जाना स्वीकार किया है और दूसरी तरफ चरणक्रम–6 में कथन किया है कि अप्रार्थी को खसरा नम्बर 29 की भूमि आवंटन की गई है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र में विरोधाभासी तथ्य अंकित किये जाने से भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आवंटन से पूर्व उक्त भूमि कि न तो कोई उद्घोषणा की है न ही आवंटी द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का आवंटन का आवेदन किया है भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नही की है, आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से अपीलान्ट का कब्जा रहा है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत आवंटन नियमानुसार अप्रार्थीक्रम–1 के हक में किया गया है, हल्का पटवारी द्वारा दखल तथा कब्जा संभलाया गया है जिस पर अप्रार्थीक्रम 1 को आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में गैर खातेदारी तदुपरान्त खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, उक्त भूमि निरन्तर काबिज हो काश्त करते हुये अप्रार्थीक्रम–1 को 20 वर्ष हो चुके है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा नहीं की है। और ना ही भू–आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना की है, आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का कब्जा रहा है। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि प्रार्थी के कब्जे में है लेकिन उसका कब्जा केवल एक श्रेणी के अतिचारी का है और चूकि यह कानूनी कब्जा नहीं है। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध मान लिया जाना चाहिए और भूमि के अतिचारियों को कोई राहत नही दी जा सकती। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत आवंटन किया गया है आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है। अप्रार्थीक्रम–1 का उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 से 2077 से साबित होता है कि आवंटी खसरा नम्बर 239 पर काश्त कर रहा है, प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधी विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.05.2000 को अप्रार्थी बशीरशाह पुत्र बलीशाह जाति मुसलमान निवासी कस्बाथाना तहसील शाहबाद को ग्राम कस्बाथाना की आराजी खसरा नं. 239 रकबा 1.10 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय के साथ भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner